NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

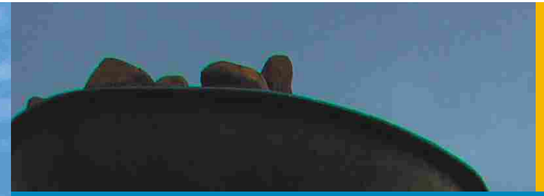

मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और मध्यप्रदेश

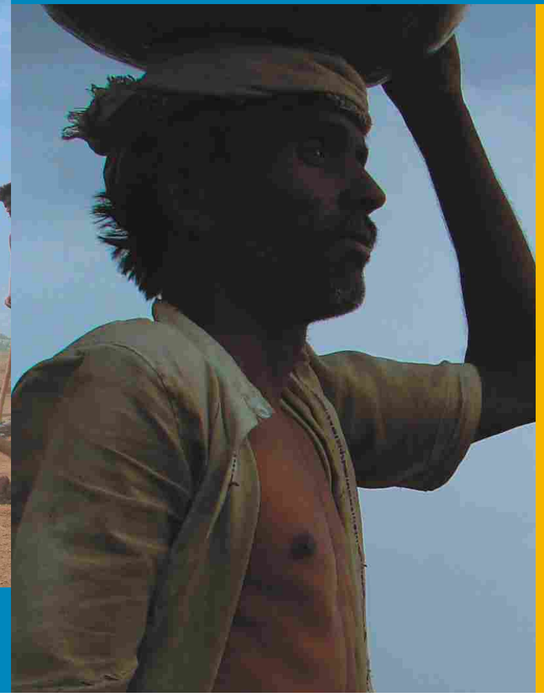

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन कार्य की अभिव्यक्ति, ''सुरक्षित आजीविका, सुखद भविष्य'' पर आधारित है। प्रदेश में अधिनियम में कार्य की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए राज्य की योजना का निर्माण किया गया है।

मध्यप्रदेश में अधिनियम क्रियान्वयन कार्य की मूल प्रकृति आगे बढ़कर कार्य करने की रही है। अधिनियम के विभिन्न चरणों में अधिनियम की मंशा को विस्तारित रूप में क्रियान्वित किया गया है। विस्तारित स्वरूप के लिए क्रियान्वयन कार्य में ग्राम पंचायतों की अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त करने के कार्य किए गए हैं। जॉबकार्ड वितरण का कार्य कोई छूटे नहीं इस दृष्टि से किया गया है। महिलाओं, निःशक्त और वृद्धजन को योजना में काम मिलें इसके समुचित प्रबंध किए गए हैं। मूलभूत विकास के सामुदायिक कार्य और निजी भूमि पर कार्यों को व्यापक स्तर पर लिया गया है। मध्यप्रदेश द्वारा अधिनियम के तहत किये गये कार्यों को शासन की अन्य योजनाओं के साथ अनुवर्ती संयोजन (Backward-Linkage) और अग्रगामी संयोजन (Forward-Linkage) के साथ क्रियान्वित किया गया है। संयोजन के इन प्रयासों ने समग्र विकास की अवधारणा को प्रदेश की 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में स्थापित किया है। इसके साथ ही रोजगार की उपलब्धता और परिसम्पत्ति निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए सहभागिता के साथ कार्य किए गए हैं। समुदाय को आगे बढ़कर जानकारी देकर निगरानी के मजबूत कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वयन के लिए प्रदेश की रणनीति ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास की नई रूपरेखा बनाई है। ग्रामीण अंचल के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। पंचायतराज संस्थाएं मजबूत हुई हैं। पर्यावरण सुधार के सुखद संकेत मिल रहे हैं।

प्रदेश में जरूरतमंदों को रोजगार का सहारा मिला है। इससे कृषक मजदूरों में विवश पलायन की आवश्यकता कम हुई है। आजीविका की सुरक्षा ने स्वास्थ्य और शिक्षा आदि बुनियादी सुविधाओं की मांग में वृद्धि की है। कृषि क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि हुई है। ग्रामीण परिवेश में सामाजिक समता का विकास हो रहा है।

अधिकांश कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के द्वारा किये जाने की व्यवस्था ने पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाया है। ग्रामीण नेतृत्व में विकास की नई सोच विकसित हुई है। विकास की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी मांग के प्रति जागृति का विकास हो रहा है।

सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ ही पर्यावरण सुधार के संकेत भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिलने लगे हैं। ग्रामीण अंचल में भू–जल स्तर गिरने का क्रम थमा है। सिंचाई साधनों की क्षमता बढ़ी है। पर्यावरण सुधार के कार्यों में गति आई है। पर्यावरण के प्रति जनजागृति भी बढ़ रही है।

नवाचार

मध्यप्रदेश

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के द्वारा ग्रामीण विकास की समग्र पहल की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास के लिये पंक्ति के आखिरी छोर पर खड़े परिवारों को समुचित अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। दैनिक रोजगार को स्थाई आजीविका में बदलने से ही यह हासिल हो सकता है। ग्राम स्तर पर भूमि एवं जल उपचार का समेकित कार्यक्रम, अन्य योजनाओं से वर्तमान में अछूते गांवों और बसाहटों को जोड़ने संबंधी दो महत्वपूर्ण पहल इस दिशा में प्रतिबद्धता का द्योतक है। इन नवाचारों का ग्रामीण विकास विभाग के अन्य कार्यक्रमों और अन्य प्रशासनिक विभागों के कार्यक्रमों के साथ संयोजन किया जाएगा।

नैनो ग्राम

1. अवधारणा

- दैनिक रोजगार को टिकाऊ आजीविका में बदलना।
- जलग्रहण प्रबंधन के अनुरूप गॉव की समेकित मृदा संरक्षण, जल संचय एवं भू–जल संवर्द्धन तथा आजीविका के स्त्रोत विकास की योजना।
- योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों का एक्शन प्लान।
- सभी कार्यक्रमों के अवयवों से पृष्ठगामी संबंधन (Backword Linkage) एवं अग्रगामी संबंधन (Forword Linkage) ।

2. कार्य

- वर्ष 2009–10 में प्रत्येक जनपद पंचायत के पांच गॉवों में योजना का क्रियान्वयन।
- ग्रामीणों की सहभागिता से कार्ययोजना निर्माण।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. तथा ग्रामीण विकास विभाग के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्त पोषण।
- कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य विभागों की योजनाओं के साथ संयोजित क्रियान्वयन।

3. प्रतिफल

- कृषिजनित एवं कृषि आधारित टिकाऊ आजीविका।
- कृषि की विविध प्रक्रियाओं के बहुगामी अवयवों के द्वारा कृषक की एक व्यवसाय / सेक्टर पर निर्भरता कम कर जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा नमी में वृद्धि के द्वारा उत्पादन में वृद्धि।

मध्यप्रदेश

बारहमासी सड़क संपर्क

1. अवधारणा

- सब जगह सबकी पहुंच – बारहमासी सड़क।
- दैनिक रोजगार के कार्यों से स्थाई आजीविका की सुविधाओं का विकास।
- ग्रामीण बसाहटों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना।

2. लक्ष्य

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 500 मीटर दूर की बसाहटों को जोड़ना।
- वर्ष 2013 तक सभी बसाहटों को बारहमासी पहुँच मार्ग।

3. कार्य

- पंचायतवार आवश्यकता का चिन्हांकन कर सड़क निर्माण।
- आवश्यकतानुसार पुल–पुलिया का निर्माण।
- गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रयोगशाला का उपयोग।

4. प्रतिफल

- उच्च गुणवत्ता की बारहमासी मार्गों के नेटवर्क सें जुड़ने का पहला प्रभावी कदम।
- दूरस्थ ग्राम/ बसाहट, समीपवर्ती नगरों की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों से जुड़कर लाभ पायेंगे।
- ग्रामीण उत्पाद के लिए बाजार से जुड़ने की संभावना।
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के प्रदाय में सुविधा।

ग्रामीण क्रीड़ांगन

1. अवधारणा

- दैनिक रोजगार के कार्यों से मूलभूत सुविधाओं का विकास।
- स्थानीय संसाधनों से ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण।
- ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को विकास के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण परिवेश में खेलों के प्रति अभिरूचि को प्रोत्साहन।

2. कार्य

- खेल मैदान का समतलीकरण।
- खेल मैदान के चारो ओर वृक्षारोपण।
- खेल मैदान के लिए मिट्टी की रैम्पनुमा गैलरी।
- खेल मैदान के लिए हाई बोल्डर से दीवार का निर्माण।

3. प्रतिफल

- युवाओं में खेल भावना तथा सहभागिता का विकास।
- ग्रामीण पारम्परिक खेलों को नवजीवन।
- खिलाड़ियों के शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओ के विकास में योगदान।

सुनियोजन

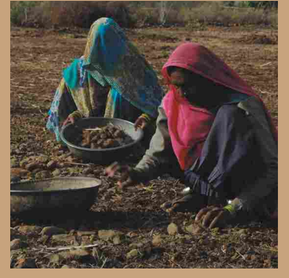

मध्यप्रदेश

प्रदेश में अधिनियम का क्रियान्वयन अग्रिम नियोजन के साथ किया गया। रोजगार की गारंटी प्रदेश के ग्रामीण अंचल की प्रत्येक गृहस्थी को प्राप्त हो इसके लिए व्यापक और विस्तृत कार्ययोजना बनाकर कार्य किये गये हैं।

1. अवधारणा :

- परिवार के पंजीयन और जॉबकार्ड वितरण में पात्र व्यक्ति छूटे नहीं।
- कार्यों के नियोजन में ग्रामीणों की भागीदारी हो।
- क्रियान्वयन कार्य में ग्राम पंचायत की अग्रणी भूमिका हो।
- मांगने पर तत्काल कार्य उपलब्ध हो।

2 कार्य :

- परिवारों के पंजीयन का कार्य व्यापक स्तर पर किया गया।
- इससे अभियान स्तर पर समय सीमा में जॉबकार्ड वितरण संभव हुआ।
- विकास कार्यों की योजना ग्राम सभा द्वारा बनाई गई।
- योजनांतर्गत प्रचलित 80 प्रतिशत से अधिक कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं।
- प्रत्येक पंचायत में सदैव 30 से अधिक कार्यों की उपलब्धता।

3. परिणाम :

- विकास की 52 हजार से अधिक ग्रामवार योजनाऐं उपलब्ध।
- योजना अवधि में ग्राम पंचायतों में साढ़े 8 लाख से अधिक कार्य अगस्त 09 तक स्वीकृत।
- जॉबकार्डधारक परिवार 1 करोड़ 12 लाख से अधिक।
- रोजगार सृजन 9000 लाख मानव दिवस से अधिक।
- अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 1587 लाख मानव दिवस अगस्त 09 तक।
- अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 4270 लाख मानव दिवस अगस्त 09 तक।
- महिलाओं द्वारा 3836 लाख मानव दिवस अगस्त 09 तक।
- 1 लाख 55 हजार से अधिक परिवारों की भूमि पर सिंचाई सुविधा।

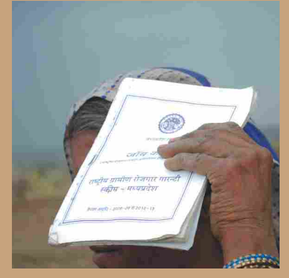

गुणवत्ता

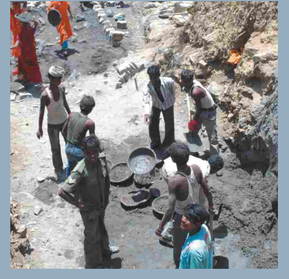

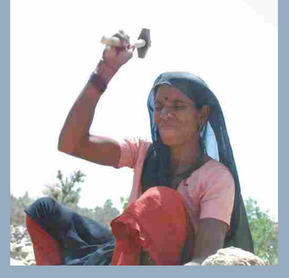

मध्यप्रदेश

प्रदेश में कार्यों की गुणवत्ता के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, पारदर्शिता, नियमित, आकस्मिक निरीक्षण और कार्यों की कड़ीबद्ध संरचना निर्मित की गई है। कार्यों के मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षित मेट, उपयंत्री, सहायक यंत्री की पदस्थापना के अतिरिक्त राज्य एवं जिलास्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स और विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सैद्धांतिक ज्ञान के लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

1. अवधारणा :

- कार्यों की नियमित निरीक्षण की व्यवस्था।
- कार्यों के संचालन की पारदर्शी व्यवस्था।
- तकनीकी अमले के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- निर्माण कार्य के विशेषज्ञों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था।
- स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु सेवानिवृत्त मुख्य, अधीक्षण एवं कार्यपालन अभियंताओं का पैनल।

2 कार्य :

- नियमित निरीक्षण के लिए लक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली।
- प्रत्येक गांव में निगरानी समिति।
- प्रत्येक कार्य का सूचना पटल।
- यंत्रियों का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं आई.आई.टी. रूड़की संस्थान में प्रशिक्षण।
- स्वतंत्र निरीक्षण के लिए राज्यस्तरीय क्वालिटी मॉनिटर।

3. परिणाम :

- क्रियान्वयन कार्य से जुड़े तकनीकी अमले का कौशल उन्नयन।
- कार्यस्थल पर तकनीकी मार्गदर्शन।
- व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान में समन्वय।

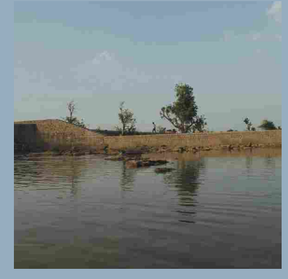

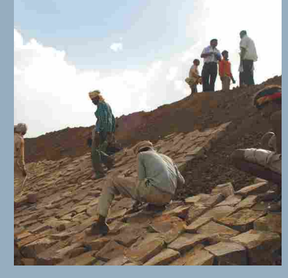

मजदूरी

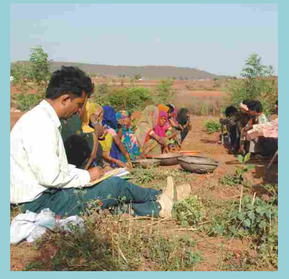

मध्यप्रदेश

मजदूरी भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था की गई है। महिला पुरुष को समान मजदूरी करके बैंकिंग व्यवस्था में शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। उनके खातों में जमा करने और शीघ्र एवं निकट के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस से मजदूरी वितरण के साथ ही मोबाइल बैंकिंग, बॉयोमैट्रिक भुगतान व्यवस्था इत्यादि नवीन प्रयोगों द्वारा व्यवस्था की गई है।

1. अवधारणा :

- जितना काम उतना दाम।
- समय पर मजदूरी का भुगतान।
- पारदर्शी भुगतान व्यवस्था ।
- मजदूरी का भुगतान कम से कम दूरी के बैंकों द्वारा।

2 कार्य :

- मजदूरों के निकटतम बैंक / पोस्ट ऑफिस में खाते।
- महिला मजदूरों के एकल खाते।
- दूरस्थ अंचलों के लिए मोबाइल वेन की व्यवस्था।
- भुगतान शिविरों द्वारा नियत दिवस पर बैंक से भुगतान।
- तत्काल राशि हस्तांतरण हेतु ग्राम पंचायत एवं मजदूरों के खाते एक ही शाखा में।

3. परिणाम :

- ग्रामीण अंचल में 63.54 लाख परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े।
- 45 लाख 86 हजार व्यक्तिगत बैंक खाते खुले।

भागीदारी

मध्यप्रदेश

रोजगार की गारंटी को अंतिम कड़ी तक पहुंचाने के कार्य किए गए हैं इसलिए इसके कार्यों का व्यापक स्वरूप में संचालन किया गया है। यह कार्य पंचायत राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ संभव हुआ है। ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार दिए गए हैं। सरपंच को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। राशि आवंटन में 50 प्रतिशत राशि सीधे ग्राम पंचायत को दी जाती है। योजना अंतर्गत समस्त कार्य पंचायतों की निगरानी में किए जा रहे हैं।

1. अवधारणा :

- पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से आमजन की भागीदारी।
- पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास।
- पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से योजना अंतर्गत कार्यों का संचालन।
- पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यों की निगरानी के लिए ग्रामीणों की भागीदारी।

2 कार्य :

- सरपंच द्वारा 5 लाख तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति।
- ग्राम पंचायत में तकनीकी / प्रशासकीय स्वीकृतियां अंतिम रूप में उपलब्ध है।
- योजना अंतर्गत समस्त कार्यों का ग्राम सभा में सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा सत्यापन।

3. परिणाम :

- योजना अंतर्गत 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पंचायत द्वारा।
- काम मांगने पर समय सीमा में रोजगार की उपलब्धता।
- तीन लाख से अधिक कार्य अगस्त 09 तक प्रगतिरत।

सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश

अधिनियम की मंशा के अनुसार महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी गई है। उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवस्थाऐं की गई है। महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण के कार्य किए गए हैं। इसके लिए महिलाओं के एकल बचत खातों में मजदूरी भुगतान, संधारण गतिविधियों और स्थाई आजीविका के कार्यों में महिला स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहन के कार्य किए गए हैं।

1. अवधारणा :

- महिलाऐं रोजगार के लिए आगे आए।
- महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता।
- महिलाओं की आत्मनिर्भरता प्रयासों में सहयोग।

2 कार्य :

- कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रबंध।
- मेट एवं अन्य कार्यों में महिलाओं के नियोजन को प्राथमिता।
- महिलाओं को अन्य सम्बद्ध गतिविधियों में रोजगार अवसरों को प्रोत्साहन।

3. परिणाम :

- सृजित मानव दिवस में 47 प्रतिशत महिलाओं द्वारा।
- महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों में मजबूती।

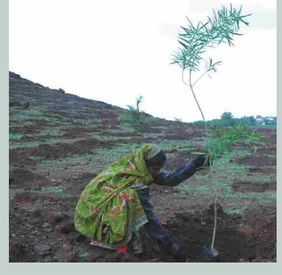

आत्म सम्मान

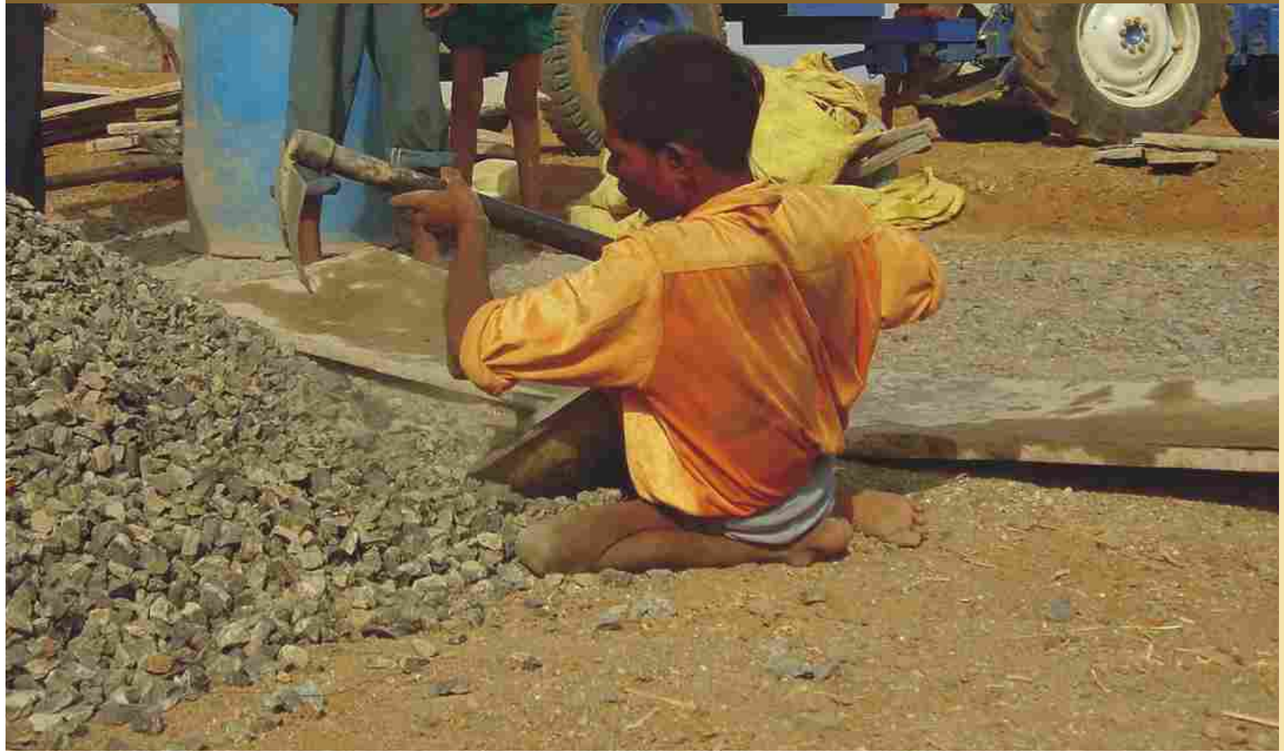

मध्यप्रदेश

अधिनियम के द्वारा स्वावलंबन की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया गया है ताकि निःशक्तजनों का आत्मसम्मान सुरक्षित हो। इसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रोजगार के अवसरों को विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार के कार्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी किए गए हैं।

1. अवधारणा :

- अधिनियम के तहत मांगने पर काम मिले।
- कार्य शारीरिक क्षमता के अनुसार हो।
- कार्य की प्रक्रिया सुरक्षित हो।
- कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध हों।

2 कार्य :

- निःशक्तता के प्रकार के आधार पर कार्यों का चिन्हांकन।
- चिन्हांकित कार्यों में प्राथमिकता के प्रावधान।
- कार्यों की जानकारी का प्रसार।
- निःशक्तजन केन्द्रित सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां।
- जिला और जनपद स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की ऑडियो सी.डी. उपलब्ध है।
- जिला और जनपद स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की ब्रेल लिपि की पुस्तक उपलब्ध है।
- जिला और जनपद स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की ऑडियो सी.डी. उपलब्ध है।
- जिला और जनपद स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की ब्रेल लिपि की पुस्तक उपलब्ध है।

3. परिणाम :

- निःशक्तजन/वृद्धजन को कार्य के बेहतर अवसर।
- अधिनियम अंतर्गत कार्यों में निःशक्तजन की भागीदारी प्रयासों में गति।
- सृजित रोजगार में निःशक्तजन की भागीदारी बढ़ी।
- सृजित रोजगार में वृद्धजन की भागीदारी बढ़ी।
- निःशक्तजनों में अधिनियम की जानकारी का प्रसार।

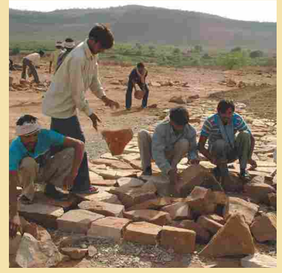

समन्वय

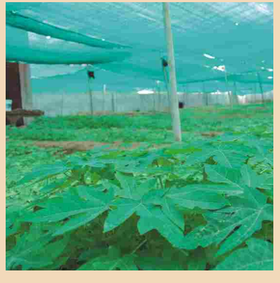

मध्यप्रदेश

अधिनियम अंतर्गत संचालित कार्यों में अग्रगामी और अनुवर्ती कार्यों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विस्तार, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि उत्पादन एवं अल्प कृषि बागवानी, पशु पालन गतिविधियों की विस्तार विकास सेवाओं का विस्तार हुआ है।

1. अवधारणा :

- योजनांतर्गत कार्यों को समग्रता देना।
- आवश्यक अग्रगामी कार्यों का संयोजन।
- आवश्यक अनुवर्ती कार्यों का संयोजन।

2 कार्य :

- निजी भूमि पर कूप निर्माण के हितग्राहियों को अजजा/अजा कल्याण विभाग के माध्यम से पंप/पाईप लाईन।
- सीमेंट क्रांकीट रोड में योजना मंडल–स्थानीय विकास निधि के द्वारा सामग्री की व्यवस्था।
- तालाब निर्माण के प्रकरणों में मत्स्य पालन विभाग के द्वारा मत्स्य पालन के उपकरणों की व्यवस्था।
- वृक्षारोपण के कार्यों में वन विभाग के द्वारा तकनीकी/क्षेत्र विकास कार्यों की व्यवस्था।
- फलोद्यान और नर्सरी में उद्यानिकी विभाग द्वारा तकनीकी/क्षेत्र विकास कार्यों की व्यवस्था।
- रेशम उत्पादन में रेशम विभाग द्वारा तकनीकी/क्षेत्र विकास कार्यों की व्यवस्था।
- गड्ढे और पौधरोपण के कार्यों में समग्र स्वच्छता अभियान द्वारा शौचालय हेतु सामग्री एवं राशि की व्यवस्था।
- कृषि, जल संरक्षण संवर्द्धन के कार्यों में आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम के द्वारा तकनीकी/क्षेत्र विकास कार्य की व्यवस्था।
- 250 एवं 500 की आबादी हेतु संपर्क मार्ग के निर्माण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा तकनीकी/क्षेत्र विकास कार्य की व्यवस्था।

3. परिणाम :

- पुर्नवास कार्यों में मजबूती आई।
- सम्पर्क मांगों की गुणवत्ता बढ़ी।
- कृषि सुविधाओं का विस्तार हुआ।
- सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई।
- वनीकरण कार्यों को संबल मिला।
- समग्र स्वच्छता अभियान को मजबूती मिली।
- आजीविका सुरक्षा प्रयासों में मजबूती आई।

मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.

4 वर्ष की अद्यतन जानकारी

क्र.	जानकारी के बिन्दु	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अगस्त माह तक)
1.	प्रदेश के कुल परिवारों को रोजगार (लाखों में)	28.63	43.46	52.04	30.3
2.	मजदूरों को प्रदाय मजदूरी (करोडो में)	1173.5	1751.8	2156.21	1163.05
3.	परिवारों के बचत खाते (लाखों में)	-	-	54.29	63.54
4.	प्रदेश के मजदूरों द्वारा सृजित मानव दिवस (करोडो में)	19.75	27.53	29.46	13.37
5.	महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस (करोडो में)	8.55	11.47	12.75	5.58
6.	अनुसूचित जाति द्वारा सृजित मानव दिवस (करोडो में)	3.12	4.91	5.25	2.57
7.	अनुसूचित जनजाति द्वारा सृजित मानव दिवस (करोडो में)	9.62	13.42	13.79	5.85
8.	100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार (लाखों में)	5.31	9.12	9.79	0.56

योजना प्रारंभ से अगस्त 2009 तक

क्र.	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1	बाढ़ नियंत्रण	3205
2	जल संरक्षण कार्य	109334
3	सूखा उन्मूलन कार्य	33585
4	लघु सिंचाई कार्य	6925
5	हितग्राही की भूमि पर कार्य	197379
6	परम्परागत जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार के कार्य	12101
	कुल योग	362529
7	ग्रामीण सड़क संपर्क के कार्य	53219
8	भूमि सुधार के कार्य	91154
	कुल योग	144373
	महायोग	506902